राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2019/2024

सरिता वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, आबकारी एवं कर विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, आबकारी विभाग, जयपुर।
3. जिला आबकारी अधिकारी, चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.06.2024
आदेश की दिनांक : 19.06.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेश कलवानिया, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.09.2006 के को व्याख्याता (इतिहास) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, दांता, सीकर में हुई थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.10.2006 को कार्यभार ग्रहण कर लिया अपीलार्थी ने आबकारी निरीक्षक के पद के लिए भी आवेदन किया था और उसने संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से चयन प्रक्रिया में भी भाग लिया था और उसे उक्त पद पर भी चुना गया था और आदेश दिनांक 16.2.2016 द्वारा उसे नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी को आबकारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया तथा नियुक्ति आदेश के परिपालन में अपीलार्थी ने दिनांक 24.02.2016 को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किया। तब से वह लगातार उक्त पद पर सेवा दे रहे हैं और परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रत्यर्थी विभाग ने पिछली पोस्ट के अनुरूप अपीलार्थी को वेतन का भुगतान किया और तदनुसार वेतन का निर्धारण भी किया। अपीलार्थी ने अपनी परिवीक्षा अवधि 23.2.2018 को पूरी कर ली और दो साल की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के समय, अपीलार्थी को रुपये 61300/– का वेतन मिल रहा था। उनके पिछले पद यानी वरिष्ठ अध्यापक और दो साल की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद, प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का निर्धारण वर्तमान पद यानी 7वें वेतन आयोग में आबकारी निरीक्षक के अनुसार पीबी–2 9300–34800 ग्रेड पे रु. 4200 और उसका वेतन रुपये

तय किया। उनकी पिछली पोस्ट की सैलरी 63100/– रुपये है (अनुलग्नक–1)। राज्य सरकार अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियमों में संशोधन करके 7वें वेतन आयोग का लाभ प्रदान किया गया। संशोधित वेतन नियम, 2017 का नियम 17 इस प्रकार है कि ''17 1.10.2017 को या उसके बाद सफलतापूर्वक परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पूरा करने वाले परिवीक्षा–प्रशिक्षु के संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण– एक परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षु परिवीक्षा के सफल समापन प्रशिक्षण अवधि को उस पद पर लागू अनुसूची–। भाग–बी के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में वेतन की अनुमति दी जाएगी जिस पर ऐसे कर्मचारी को वेतन मैट्रिक्स में न्यूनतम स्तर (प्रथम कक्ष) पर नियुक्त किया गया है। बशर्ते कि एक सरकारी कर्मचारी पहले से ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में है, यदि उसे किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाता है। परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षु और उसने पिछले पद के चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में वेतन लेने का विकल्प चुना है, परिवीक्षा अवधि के सफल समापन पर उसका वेतन नए पद के संबंधित स्तर पर समान स्तर पर वेतन के संदर्भ में पिछला पद के अनुरूप तय किया जाएगा। राज्य सरकार के नियम 5(vi) और (vii) वेतन मैट्रिक्स की अनुसूची–। (भाग–बी) के अनुसार संशोधित वेतन नियमावली, 2017 से जुड़े सेवकों के लिए आबकारी इंस्पेक्टर का पद लेवल–10 पीबी–2 9300–34800 ग्रेड पे 3600/– में आता है। अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के प्रासंगिक पृष्ठ की प्रतिलिपि अनुसूची–। (भाग–बी) के साथ संलग्न है और इसे अनुलग्नक–2 के रूप में चिह्नित किया गया है। वर्तमान प्रकरण में परिवीक्षा अवधि पूरी होने के समय अपीलार्थी को 61300/–रुपये का वेतन मिल रहा था और परिवीक्षा अवधि यानी 23.02.2018 तक समान भुगतान देय था और उसके बाद अपीलार्थी का वेतन संशोधित वेतन नियम, 2017 के अनुसार, पहले के वेतन के अनुसार सेल नंबर 21 में संशोधित किया जाना था। श्री राजीव गोदारा को भी पहले 2.7.1990 को शिक्षक ग्रेड–II के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्हें आरआरबी 9300–34800 जीपी 4800 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया था। उन्हें आरपीबी 9300–34800 जीपी 3200/– में जेसीटीओ के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 28.12.2010 को जेसीटीओ के रूप में नियुक्ति से पहले वह रुपये 23730/– (18930 ± 4800) का वेतन प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने परिवीक्षा अवधि के दौरान मौजूदा पद का वेतन लेने का विकल्प चुना। राजीव गोदारा के वित्त निर्धारण के भुगतान के संबंध में एक नोट शीट बनाएं और विभाग को परिवीक्षा अवधि के दौरान पिछले पद का भुगतान करने का अधिकार दें और परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद, जेसीटीओ के रूप में उनका वेतन नए के आरपीबी में तय किया जाएगा। वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी को शुरू में वरिष्ठ शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और आबकारी निरीक्षक के पद पर नियुक्ति पर, प्रतिवादियों ने

अपीलार्थी को उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान उसके पहले पद के वेतन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अवधि पूरी होने के बाद परिवीक्षा, आरसीएस (आरपी) नियमों के नियम 22 के प्रावधान के अनुसार, आबकारी निरीक्षक के रूप में उनका वेतन पिछले पद के वेतन और नए पद के ग्रेड वेतन के संदर्भ में समान स्तर पर नए पद के आरपीबी में तय किया जाएगा। लेकिन उत्तरदाताओं ने नए पद के आरपीबी में अपीलार्थी का वेतन उसके पिछले पद के वेतन नए पद के ग्रेड वेतन के बराबर स्तर पर तय नहीं किया है जिससे भविष्य में अपीलकर्ता को बड़ी कठिनाई होगी। अपीलार्थी को प्रावधान के अनुसार नए पद के आरपीबी में पिछले पद के वेतन और नए पद के ग्रेड वेतन के संदर्भ में समान स्तर पर अपीलार्थी के वेतन को फिर से तय करने के लिए प्रतिवादियों से लगातार निवेदन किया जाता रहा।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को पिछले पद के वेतन के साथ–साथ समान स्तर पर नए पद के आरपीबी में अपीलार्थी के वेतन का पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही आरसीएस (आरपी) नियम 2017 के नियम 17 के प्रावधान के साथ–साथ अनुसूची–। भाग–बी के अनुसार आबकारी निरीक्षक के नए पद का ग्रेड वेतन और तदनुसार अपीलार्थी का वेतन संशोधित किया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने

के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)